cc/1027
28/01/2020

अति महत्वपूर्ण
ई–मेल द्वारा

कृषि निदेशालय,उत्तर प्रदेश
(आई0जी0आर0एस0प्रकोष्ठ)
कृषि भवन,लखनऊ

पत्रांकःआई.जी.आर.एस.प्रकोष्ठ/ /92 पत्रा0 मूल्यां0/2019–20/लखनऊ दिनांक 24 जनवरी,2020

(1) समस्त अपर कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश,कृषि भवन,लखनऊ।
(2) समस्त संयुक्त कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त उप कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिला कृषि अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला कृषि रक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी,उत्तर प्रदेश।

विषयः–जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भो के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किए जाने हेतु मासिक मूल्यांकन माह दिसम्बर, 2020 के संबंध में।

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के अर्न्तगत प्राप्त मा0 मुख्य मंत्री/आनलाईन एवं पी0जी0पोर्टल के माध्यम से सन्दर्भ प्राप्त होते है,जिस पर अतिशीध्र निस्तारण करते हुये उसकी आख्या पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार अपेक्षा की गयी थी परन्तु **शासन द्वारा माह दिसम्बर, 2020** को जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भो के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किए जाने हेतु मासिक मूल्यांकन किया गया है जिसमे विभाग द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भो के निस्तारण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पाई गयी है जिसका विवरण संलग्न है।

उपरोक्त मूल्यांकन विवरण संलग्न करते हुये आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि शासन द्वारा **माह दिसम्बर,2020 में बिन्दु संख्या–2 में डिफाल्टर सन्दर्भ मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ 03 अंक आनलाईन सन्दर्भ में 07 अंक एवं पी0जी0पोर्टल सन्दर्भो में 01 अंक प्राप्त हुये है जो कि अत्यंन्त खेद जनक स्थिति को दर्शाता है,जिससे कृषि विभाग की छवि धूमिल हो रही है। माह दिसम्बर,2020 में बिन्दु संख्या–2 में डिफाल्टर सन्दर्भ मा0 मुख्यमंत्री/आनलाईन/पी0जी0पोर्टल संदर्भो के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु डिफाल्टर प्रकरणों की समीक्षा अपने स्तर से पुनः करने का कष्ट करें।**

अतः शासन स्तर से किये गये मूल्यांकन की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ आप समस्त को प्रेषित है कि कृपया डिफाल्टर सन्दर्भ (मा0 मुख्यमंत्री,आनलाईन एवं पी0जी0पोर्टल) का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं गुणवत्तापरक शत् प्रतिशत निस्तारण कराना सुनिश्चिन करे, संदर्भो ताकि **माह जनवरी,2020** के मूल्यांकन में विभाग की स्थिति बेहतर हो सके।

सर्वोच्च प्रथामिकता अपेक्षित है।

संलग्नकः–उपरोक्त।

(सोराज सिंह)
कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःआई.जी.आर.एस.प्रकोष्ठ/1753 /92 पत्रा0 मूल्यां0/2019–20/लखनऊःदिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1– सहायक निदेशक,(समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
2– निदेशक,कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा,उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

S Rawat

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

सहायक निदेशक
(समन्वय एवं कम्प्यूटर)
28/01/20

C:\Users\HP\Desktop\New folder (3)\MULYAKAN KI REPOT\letter to director pending and defaulter.docx

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भो के त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण किए जाने हेतु मासिक मूल्यांकन प्रपत्र.

अधिकारी का विवरण

विभाग	-- कृषि	स्तर	-- निदेशालय / विभागाध्यक्ष स्तर/न	महायोग (प्राप्तांक / पूर्णाङ्क)	26/ 60
पद	निदेशक,	यूजरनाम	dirag@nic.in	आदेशकर्ता अधिकारी वार रिपोर्ट	43.33
माह	दिसंबर	वर्ष	2019	रैंक	5/11

(1) संदर्भो की मार्किंग / अग्रसारण में लगे औसत दिवस

सन्दर्भ का प्रकार	माह मे कुल मार्क किये गये सन्दर्भ	मार्किंग मे लगे कुल दिवस	मार्किंग मे लगे औसत दिवस	प्राप्तांक	अंक दिये जाने का सूत्र
(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5)	(6)
समस्त	95	12	0.1	10	अधिकतम अंक - 10 10(<2 days),8(2-2.5 days),6(2.5-3.0 days), 4(3.0-3.5 days),2(3.5-4.0 days),0(>4 days) उपरोक्त अवधि की गणना में संदर्भ प्राप्ति का सम्मिलित रहेगा। एक भी सन्दर्भ के 15 दिवस से अधिक समय तक अनमार्क रहने पर आपको कोई भी अंक प्राप्त नहीं होगा

(2) डिफाल्टर सन्दर्भ

सन्दर्भ का प्रकार	एक माह मे प्राप्त औसत सन्दर्भ*	माह के अंत मे कुल डिफाल्टर सन्दर्भ की सख्या	प्रतिशत	प्राप्तांक	अंक दिये जाने का सूत्र
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)	(5)	(6)
मुख्यमंत्री सन्दर्भ	6	8	133.33	3	अधिकतम अंक - 10 10(0),9(1-20%),8(21-40%), 7(41-60%).....1(160-180%),0(>180%)
ऑनलाइन सन्दर्भ	103	52	50.49	7	अधिकतम अंक - 10 10(0),9(1-20%),8(21-40%), 7(41-60%).....1(160-180%),0(>180%)
पी.जी.पोर्टल	18	30	166.67	1	अधिकतम अंक 10(0),9(1-20%),8(21-40%), 7(41-60%).....1(160-180%),0(>180%)

(3) C-श्रेणी प्राप्त सन्दर्भ

पूरे प्रदेश में कुल श्रेणीकृत संदर्भो के सापेक्ष कुल C-श्रेणी संदर्भो का औसत प्रतिशत	कुल श्रेणीकृत सन्दर्भ **	कुल C-श्रेणी प्राप्त सन्दर्भ	प्रतिशत	प्राप्तांक	अंक दिये जाने का सूत्र
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)	(5)	(6)
26.07	3	3	100.00	0	अधिकतम अंक इस हेतु समीक्षा माह में पूरे प्रदेश में कुल श्रेणीकृत संदर्भो के सापेक्ष कुल C-श्रेणी संदर्भो का औसत प्रतिशत आगणित कर कॉलम -1 में अंकित किया जायेगा । सम्बंधित अधिकारी के उस माह C-श्रेणी संदर्भो का कॉलम -4 में प्रतिशत यदि प्रदेश के औसत के बराबर है तो उसे 5 अंक मिलेंगे । प्रदेश के औसत से प्रत्येक 10 प्रतिशत (प्रदेश के औसत का ही) अधिक C-श्रेणी संदर्भो पर । अंक

					कटेंगे तथा प्रदेश के औसत से प्रत्येक 10 प्रतिशत (प्रदेश के औसत का ही) कम C-श्रेणी संदर्भो पर 1 अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे।

(4)श्रेणीकर्ता उच्चाधिकारी के रूप में कार्यवाही

मासिक लक्ष्य	कुल श्रेणीकृत संदर्भो के संख्या	श्रेणीकृत संदर्भो का प्रतिशत	प्राप्तांक	अंक दिये जाने का सूत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	55	343.75	5	अधिकतम अंक 0(0%),1(1-25%),2(26-50%), 3(51-75%),4(76-99%),5(100%)
अनुमोदनकर्ता अधिकारी द्वारा संतोषजनक में परिवर्तित किये जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव की संख्या * *	प्रस्तावित संदर्भो के सापेक्ष निर्धारित १५ दिन की समय सीमा के अन्तर्गत निक्षेपित / पुनर्जीवित संदर्भो की संख्या	प्रस्तावित संदर्भो के सापेक्ष त१५दिन निक्षेपित / पुनर्जीवित संदर्भो का प्रतिशत	प्राप्तांक	उपरोक्तानुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	
0	0	0	0	
		महायोग (प्राप्तांक / पूर्णाङ्क)	26 /60	
		प्रतिशत	43.33 %	

नोट->

1: * यह गणना प्रणाली के प्रारम्भ से प्राप्त कुल सन्दर्भो के आधार पर रहेगी|

2: ** क्रम संख्या-3 के कॉलम-2 में श्रेणीकृत सन्दर्भो की संख्या शून्य रहने पर प्राप्तांक व् पूर्णाक दोनों शून्य रहेंगे । इसी तरह क्रम संख्या-4(ii) के कॉलम-1 में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या शून्य रहने पर भी प्राप्तांक व् पूर्णाक दोनों शून्य रहेंगे ।

3: *** क्रम संख्या-5 का मानक मात्र जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों हेतु ही लागू होगा|

4: **** नोट-2 एवं 3 के अनुसार कुल पूर्णाङ्क परिवर्तनीय रहेगा !